भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2989
(10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण क्षेत्रों की अवसंरचना का आकलन

2989. श्रीमती प्रतिमा मण्डल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत दी जाने वाली निधियों को लंबे समय तक रोके जाने अथवा इसे दिए जाने में हुए विलम्ब का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रकार की कार्रवाइयों से लाखों ग्रामीण कामगारों को दिए जाने वाले मजदूरी भुगतान पर सीधे प्रभाव पड़ता है;

(ग) पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत निधियों की कथित कमी और आवास के रुके हुए अनुमोदन के क्या कारण हैं और लंबित किस्तें कब तक जारी कर दी जाएंगी; और

(घ) क्या मंत्रालय ने इसका आकलन किया है कि खराब अवसंरचना और अल्प वित्तपोषित ग्रामीण कार्य दूर-दराज के क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्रों और समेकित बाल विकास योजना (आईसीडीएस) की पहुंच को प्रभावित करता है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख): राज्य द्वारा केंद्र सरकार के निर्देशों का निरंतर अनुपालन न किए जाने के कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 27 के प्रावधानों को लागू करते हुए दिनांक 09.03.2022 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के तहत पश्चिम बंगाल राज्य को निधि जारी करने की प्रक्रिया रोक दी गई थी।

तथापि, माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के दिनांक 18.06.2025 के आदेश के अनुपालन में इस विभाग ने पश्चिम बंगाल राज्य में महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन को फिर से शुरू करने के लिए दिनांक 06.12.2025 को आदेश जारी किए हैं जो विशेष शर्तों के अनिवार्य अनुपालन के अध्यधीन है ताकि राज्य में योजना के प्रभावी और कानूनी कार्यान्वयन की सुविधाजनक बनाया जा सके। तदनुसार राज्य सरकार से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए श्रम बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है ताकि महात्मा गांधी नरेगा योजना की अधिकार प्राप्त समिति उस पर विचार कर सके जो अनुस्मारक भेजे जाने के बावजूद अभी तक प्रतीक्षित है।

नरेगासॉफ्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल राज्य के लिए कुल लंबित देनदारी (08.03.2022 तक) ₹3082.52 करोड़ है, जिसमें मजदूरी घटक के तहत ₹1457.22 करोड़, सामग्री घटक के तहत ₹1607.68 करोड़ और प्रशासनिक घटक के तहत ₹17.62 करोड़ शामिल हैं। इस देनदारी की स्वीकार्यता केंद्र सरकार द्वारा सत्यापन के अधीन है।

(ग): पीएमएवाई-जी के तहत, पश्चिम बंगाल राज्य को कुल 45.69 लाख मकानों का लक्ष्य आवंटित किया गया है जिसकी तुलना में राज्य ने 45.69 लाख मकानों को स्वीकृति दी है। दिनांक 05.03.2026 तक, 34.66 लाख लाभार्थियों को सहायता की पहली किस्त, 34.30 लाख लाभार्थियों को सहायता की दूसरी किस्त जारी की जा चुकी है और 34.20 लाख मकान बनकर पूर्ण हो चुके हैं।

मंत्रालय द्वारा पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक पश्चिम बंगाल राज्य को केंद्रीय अंश के रूप में ₹25,798 करोड़ पहले ही जारी किए जा चुके हैं। तथापि नवंबर, 2022 में अंतिम रूप दी गई आवास+ 2018 सर्वेक्षण सूचियों से राज्य को लक्ष्य आवंटन के पश्चात् पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन में अनियमितताओं से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुईं। इन शिकायतों का सत्यापन राष्ट्रीय स्तरीय निगरानीकर्ता (एनएलएम) दलों तथा वरिष्ठ अधिकारी दलों के माध्यम से किया गया। मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से ग्रामीण विकास मंत्रालय के एनएलएम दलों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के दलों की टिप्पणियों पर संतोषजनक की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत न किए जाने के कारण वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 (वर्तमान स्थिति तक) के दौरान अंतिम रूप दी गई आवास+ 2018 सर्वेक्षण सूचियों से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लक्ष्यों के लिए पश्चिम बंगाल राज्य को पीएमएवाई-जी के अंतर्गत केंद्रीय अंश की कोई निधि जारी नहीं की गई है।

(घ): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक मांग-आधारित मजदूरी रोजगार योजना है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी करना एक सतत प्रक्रिया है।

यह भी उल्लिखित है कि एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस), जिसके अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्लूसी) का निर्माण किया जाता है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की

जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण अभिसरण के तहत किया जा रहा है, जिसमें महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत प्रति आंगनवाड़ी इकाई ₹8.00 लाख तक के व्यय की अनुमति है। राज्य-विशिष्ट अनुमानों के अनुसार, आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए शेष लागत को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की एकीकृत बाल विकास योजना या अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों से जुटाया जा सकता है।

मंत्रालय विभिन्न मंचों, अर्थात् मध्यावधि समीक्षा, श्रम बजट बैठकें, श्रम बजट संशोधन बैठकें, कार्यक्रम समीक्षा बैठकों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन के निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा करता है। केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद और राज्य रोजगार गारंटी परिषदें समय-समय पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करती हैं। राज्यों में कार्यों की प्रगति की नियमित निगरानी हेतु विभिन्न स्तरों पर राज्य तकनीकी प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान) के अंतर्गत, पीवीटीजी (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों) क्षेत्रों में निर्माण हेतु कुल 2,500 आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) को स्वीकृति प्रदान की गई है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) का ध्यान लगभग 63,843 गांवों में अभिसरण, पहुँच और संतृप्ति पर केंद्रित है। डीएजेजीयूए के अंतर्गत, 875 आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।